AFR

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

## सी.आर.ए.नं. 907/2008

देवधी उर्फ देवधारी महकूल पिता–जोगोराम, उम्र–22 वर्ष, निवासी–ग्राम नवागांव, तहसील–धरमजयगढ़, (कारण शीर्षक में उल्लिखित नहीं), थाना–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़, (छ.ग.) ...............**अपीलार्थी**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना अ.जा.क. रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

.................**उत्तरवादी**

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से – श्री ए.एन.भक्ता अधिवक्ता ।

उत्तरवादी/राज्य की ओर से – श्री विमलेश बाजपेयी शासकीय अधिवक्ता ।

---

### माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम चौर्ड़िया

### (निर्णय –पटल पर)

**18.09.2020**

1. यह अपील विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी गई।

2. यह अपील निर्णय दिनांक 23.09.2008 के दोषसिद्धि के आदेश से उद्भूत हुआ है, जिसे विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(जिसे आगे ''अधिनियम, 1989'' कहा जाएगा), रायगढ़ जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 05/08 में पारित किया गया था, जिसके तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और निम्नलिखित रूप में दण्डित किया गयाः–

| दोषसिद्धि | दण्डादेश |
|---|---|
| धारा 3(1)(Xii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 | के अंतर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000/– के जुर्माने की सजा। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अतिरिक्त 6 महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. **मामले का संक्षिप्त विवरणः–** अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 02.05.2007 को शाम 4:00 बजे, पीड़िता, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, अपने घर में अकेली थी। उसी समय आरोपी/अपीलार्थी उसके घर में घुस आया और बलपूर्वक उसके साथ यौन संबंध बनाया। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वह उससे शादी करेगा और उसे धमकी दी कि यदि उसने इस घटना का खुलासा किया, तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद, दोनों (आरोपी और पीड़िता) घर छोड़कर चले गए और जिला रायगढ़, तहसील घरघोड़ा में स्थित गौरी शंकर निषाद (अ.सा.–4) के घर पर किराये पर रहने लगे। वे लगभग दो महीने तक एक साथ रहे। इस दौरान, दोनों ने शादी का एक समझौता किया और इसका हलफनामा (affidavits) निष्पादित किये, परन्तु 17.07.2007 को, आरोपी ने पीड़िता का साथ छोड़ दिया और

उसे धोखा देकर वहां से भाग गया। बाद में, सितंबर महीने में, यानी 15.09.2007 को, पीड़िता ने धर्मजयगढ़ पुलिस स्टेशन में जाकर आरोपी/अपीलार्थी के खिलाफ एफ.आई.आर. (प्र.पी.–01) दर्ज करवाई। यह एफ.आई.आर. जीरो नंबर पर दर्ज की गई और बाद में इसे रायगढ़ पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसे अपराध क्रमांक 28/07 (प्र.पी.–8) के तहत् पंजीकृत किया गया। इसके बाद, पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. श्रीमती रत्नामणिक मेश्राम (अ.सा.–06) ने उसका परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्र.पी.–07 प्रस्तुत की:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>बाहरी परीक्षण करने पर:–</u>**

द्वितीयक यौन लक्षण अच्छी तरह विकसित थे।

शरीर के किसी भी हिस्से पर बाहरी चोट नहीं पाई गई।

तीसरा मोलर (दांत) अनुपस्थित था।

**<u>आंतरिक परीक्षण करने पर:–</u>**

कोई आंतरिक चोट नहीं पाई गई।

कोई कोमलता (tenderness) नहीं।

कोई लाली (redness) नहीं।

वाल्वा (valva) और योनि (vagina) पर कोई चोट नहीं।

योनि में दो उंगलियाँ आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, पुराने हाइमन (hymen) के निशान मौजूद होना पाया गया।

गर्भाशय (uterus) सामान्य आकार का होना पाया गया।

**डॉक्टर के मतानुसार पीड़िता** (prosecutrix) यौन संबंध बनाने की आदी है, इसलिए बलात्कार के बारे में कोई ठोस राय नहीं दी जा सकती। इस कारण शुक्राणु की उपस्थिति की जांच के लिए स्लाइड्स तैयार की गईं। चिकित्सकीय रूप से उसकी उम्र 18–21 वर्ष के बीच आंकी गई और उम्र की पुष्टि के लिए उसे रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा गया।

4. **अनुसंधान के दौरान** आर्टीकल–ए और आर्टीकल–बी (दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित समझौते) जप्त किए गए, जो प्र.पी.–02 के रूप में दर्ज हैं। पीड़िता का स्थानांतरण प्रमाणपत्र जप्त किया गया, जिसे प्र.पी.–03 के रूप में दर्ज किया गया। अपराध स्थल का नजरी नक्शा अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किया गया और इसे प्र.पी.–04 के रूप में दर्ज किया गया, आरोपी/अपीलार्थी को 16.09.2007 को गिरफ्तार किया गया, जिसे प्र.पी.–11 के रूप में दर्ज किया गया। आरोपी/अपीलार्थी की चिकित्सीय परीक्षण, डॉ. बी.एल.भगत अ.सा.–11 द्वारा की गई और प्र.पी.–10 के तहत उसे संभोग करने में सक्षम पाया। अभियोक्त्री और आरोपी की तैयार की गई स्लाईड को क्रमशः प्र.पी.–05 एवं प्र.पी.–06 के तहत् जप्त किया गया। गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, आरोपी/अपीलार्थी के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 376, 506 और 450 तथा अधिनियम की धारा 3(1)(Xii) के तहत चार्जशीट दाखिल किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. विचारण न्यायालय ने आरोपी/अपीलार्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 450 तथा अधिनियम की धारा 3(1)(Xii) के तहत आरोप विरचित किया, जिस पर उसने जुर्म अस्वीकार कर विचारण किये जाने

की प्रार्थना की। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों की परीक्षण कराया, अर्थात्ः अ.सा.–01 अभियोजन पक्ष की गवाह, अ.सा.–02 बलराम, अ.सा.–03 दुर्योधन भगत, अ.सा.–04 गौरी शंकर निषाद, अ.सा.–05 मोहन राम प्रजापति, अ.सा.–06 डॉ. श्रीमती रत्नामणिक मेश्राम, अ.सा.–07 कन्हैया लाल तिवारी, अ.सा.–08 किशन चंद्र बेहरा, अ.सा.–09 मधोसिंह ठाकुर, अ.सा.–10 एफ.जे. टिग्गा, अ.सा.–11 डॉ. बी.एल. भगत, अ.सा.–12 बी.एम. पुरी आरोपी/अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत् दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए निर्दोष होने का दावा किया और झूठे फंसाने की कथन किया हालांकि, उसने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**6.** विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्री पर विचार करने के बाद आरोपी/अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उपरोक्त अनुसार सजा सुनाई।

**7.** अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील प्रस्तुत किया कि इस मामले में एफ.आई.आर. प्र.पी–1 विलंबित अवस्था में दर्ज की गई थी। इसके लिए उचित स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है। उन्होंने यह भी दलील प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपराध के मुख्य तत्वों को धारा 3(1)(Xii) अधिनियम के तहत साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने आगे दलील प्रस्तुत किया कि इस मामले में पीड़िता एक बालिग लड़की थी, जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 19 वर्ष थी, और वह घटना से बहुत पहले से ही आरोपी के साथ प्रेम संबंध में थी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी दलील प्रस्तुत किया कि पीड़िता स्वयं अपना

घर छोड़कर आरोपी/अपीलार्थी के साथ रह रही थी। इसलिए, विशेष न्यायाधीश ने समान साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को आई.पी.सी. की धारा 376 और 450 के तहत दोषमुक्त कर दिया था, तो फिर धारा 3(1)(Xii) अधिनियम, 1989 के तहत अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, दोषसिद्ध और दण्डादेश का व्यथित निर्णय रद्द किया जाना चाहिए और अपीलार्थी को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

**8.** दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने व्यथित निर्णय का समर्थन करते हुए दलील प्रस्तुत किया कि आरोपी/अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश पूरी तरह से विधि के अनुरूप है और इसमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता या त्रुटि नहीं है, जिससे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**9.** इस मामले में, राज्य द्वारा अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 376 और 450 के तहत दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ कोई प्रतिअर्जी/काउंटर अपील नहीं दायर की गई है।

**10.** पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया एवं अभिलेख में मौजूद सामाग्री का परिशीलन किया गया।

**11.** इस मामले में, पीड़िता की उम्र 19 वर्ष थी और यह तथ्य अनुच्छेद ए और बी (आरोपी और पीड़िता के बीच किए गए समझौतों) और अनुच्छेद सी (पीड़िता का स्थानांतरण प्रमाण पत्र) में भी उल्लिखित है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 16 जुलाई 1988 दर्ज है। अतः यह स्पष्ट है कि घटना की

तारीख को पीड़िता 18 वर्ष से अधिक उम्र की थी और इस तथ्य को दोनों पक्षों द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है।

**12.** पीड़िता (अ.सा.–01) ने अपने बयान में कहा कि घटना के दिन वह अपने घर में अकेली थी, उस समय आरोपी/अपीलार्थी उसके घर में घुसा और यह कहते हुए उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए कि वह उससे शादी करेगा। उसने यह भी धमकी दी कि यदि उसने इस घटना का खुलासा किया तो वह उसे जान से मार देगा। उसने यह भी कहा कि 14.05.2007 को, वह अपना घर छोड़कर अभियुक्त के साथ तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ चली गई, जहाँ वे दोनों एक किराए के मकान में लगभग दो महीने तक साथ रहे। इस दौरान आरोपी ने नियमित रूप से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस अवधि के दौरान, दोनों ने शपथ पत्र के माध्यम से विवाह समझौता किया। लेकिन बाद में, आरोपी ने पीड़िता का साथ छोड़ दिया और वहाँ से फरार हो गया। फिर, सितंबर के महीने में, वह पुलिस स्टेशन गई और आरोपी/अपीलार्थी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**13.** हालांकि, अभियोजन डायरी के बयान के अनुसार अभियोक्त्री ने कहा कि वह आरोपी/अपीलार्थी से 3–4 महीने पहले प्रेम संबंध में थी और दोनों एक–दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने के लिए सहमत थे। इसलिए, वे घर छोड़कर चले गए और शपथ पत्र बनाकर विवाह अनुबंध किया। उसने यह भी कहा कि उसके पिता उसके घर पहुँचे, जहाँ वह और अपीलार्थी रह रहे थे, और उसे वहाँ से ले गए। इसके बाद, अपीलार्थी ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसके प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 8 में, उसने कहा कि उसने पुलिस को जानकारी दी थी जब उसने प्र.डी.–1 का बयान दिया था कि

अपीलार्थी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि, उसकी डायरी के बयान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, अपनी गवाही में अभियोक्त्री ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसने इस बारे में कोई शोर मचाया था।

**14.** अ.सा.–02 बलराम, जो अभियोक्त्री के पिता हैं, ने अपनी गवाही के पैराग्राफ 2 में कहा कि लगभग 9–10 महीने पहले रात में अभियोक्त्री उसके घर से चली गई थी। 6–7 दिन तक तलाश करने के बाद, उसने पाया कि उसकी बेटी अपीलार्थी के साथ घरघोड़ा में रह रही थी। फिर, वह घरघोड़ा गया और वहाँ अभियोक्त्री और अपीलार्थी से मिला, जहाँ उन्होंने उसे बताया कि वे खुशी–खुशी रह रहे हैं और उन्होंने अपने विवाह के लिए शपथ पत्र भी तैयार कर लिया है। इसके बाद, वह घरघोड़ा से अपने घर लौट आया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**15.** हालांकि, अपने केस डायरी बयान प्र.पी.–2 में, अ.सा.–2 बलराम ने कहा कि आरोपी और अभियोजन पक्ष की पुत्री/पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था। अपने बयान के रिकॉर्ड होने से तीन–चार महीने पहले, आरोपी और पीड़िता भाग गए और घरघोड़ा में रहने लगे। चूंकि आरोपी अलग जाति का था, समाज में बदनामी के डर से वह घरघोड़ा गया और उन्हें अलग रहने की सलाह दी तथा अपनी बेटी को वापस घर ले आया।

**16.** अ.सा.–3 दुर्योधन ने भी अपनी गवाही में कहा कि आरोपी ने अभियोक्त्री को घरघोड़ा गांव में रखा और दोनों वहीं साथ रह रहे थे। इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद, अभियोक्त्री का पिता वहां गया और उसे अपने घर वापस ले आया। इसके बाद, आरोपी वहां से फरार हो गया। लेकिन

अपनी केस डायरी के बयान प्र.पी.–3 में, उसने कहा कि पीड़िता और आरोपी एक–दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह के लिए सहमत थे। हालांकि, वे अलग जाति के थे, जिससे पीड़िता के पिता और आरोपी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया।

**17.** अ.सा.–4 गोरी शंकर निषाद वह मकान मालिक है, जिसके मकान में आरोपी और पीड़िता घरघोड़ा में किराए पर रह रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके मकान का किराया 300/– प्रति माह था और पीड़िता के पिता ने मकान का किराया चुकाया था।

**18.** अ.सा.–5 मोहनराम प्रजापति, प्र.पी.–5 के तहत स्लाइड्स की जब्ती का गवाह है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**19.** अ.सा.–6 डॉ. श्रीमती रत्नामणिक मेश्राम ने पीड़िता की चिकित्सकीय परीक्षण की और अपनी रिपोर्ट प्र.पी.–7 के तहत प्रस्तुत की, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट को विधिवत प्रमाणित किया।

**20.** अ.सा.–7 कन्हैया लाल तिवारी हेड कांस्टेबल है, जिन्होंने संख्याबद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर) प्र.पी.–8 दर्ज की और इसे प्रमाणित किया। अ.सा.–8 किशोर चंद्र बेहरा कांस्टेबल है, जिन्होंने प्र.पी.–5 के माध्यम से स्लाइड्स को जप्त किया।

**21.** अ.सा.–9 मधोसिंह ठाकुर जप्ती के गवाह हैं, जो प्र.पी–5 और पी–6 से संबंधित हैं।

**22.** अ.सा.–11 डॉ. श्री बी.एल. भगत ने आरोपी/अपीलार्थी की चिकित्सीय परीक्षण किया, जिसे प्र.पी–10 में दर्ज किया गया, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रमाणित किया।

**23.** अ.सा.–12 बी.एम.पुरी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक हैं, जिसने इस मामले की विवेचना की है।

**24.** अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (Xii) में इस प्रकार लिखा हैः–

''3. अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड । कृ (I) जो कोई, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, xxxxxxxxxxx

(xii) यदि वह किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला की इच्छा को नियंत्रित करने की स्थिति में हो और उस स्थिति का उपयोग उसे यौन रूप से शोषित करने के लिए करे, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती''

**25.** जहाँ तक अभियुक्त की धारा 3(1)(xii) अधिनियम, 1989 के तहत दोषसिद्धि का प्रश्न है, यह कहना पर्याप्त है कि मात्र इस तथ्य से कि पीड़िता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की लड़की थी, अधिनियम, 1989 के प्रावधान लागू नहीं होते। इस तथ्य के अलावा कि पीड़िता गोंड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाति से संबंधित है, रिकॉर्ड में ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी ने अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के तहत अपराध किया है। ऐसे अपराध के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी इस स्थिति में था कि वह किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला की इच्छा को नियंत्रित कर सकता था और उस स्थिति का उपयोग करके उसका यौन शोषण किया, जिससे वह अन्यथा सहमत नहीं होती।

**26.** **मदन लाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** (2007 (1) C.G.L.J. 435) के मामले में, इस न्यायालय ने समान मुद्दे से निपटते हुए यह निर्णय दिया थाः–

''भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) – विवाह का वादा – अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 15 वर्षीय पीड़िता के साथ आरोपी ने कई बार यह कहकर यौन संबंध बनाए कि वह उससे विवाह करेगा। इसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई और फिर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। डॉक्टर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित हुआ कि घटना के समय पीड़िता 16 वर्ष से कम उम्र की नहीं थी और पीड़िता की सहमति भी स्थापित हो गई थी। अपील को स्वीकार कर लिया गया और यह निर्णय दिया गया कि केवल इस आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि पीड़िता गोंड जाति से संबंधित है।''

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**27.** वर्तमान मामले में, यह प्रतीत नहीं होता कि अपीलार्थी प्रभुत्व की स्थिति में था बल्कि अभियोक्त्री के साक्ष्य यह दर्शाता है कि उसने कई बार यौन संबंध स्थापित करने की सहमति दी, क्योंकि दोनों को एक–दूसरे से विवाह करना था और उसने घटना के दिन या किसी भी समय कोई आपत्ति नहीं उठाई। यदि कोई लड़की लंबे समय तक बार–बार यौन संबंध बनाने की सहमति देती है, तो केवल इस आधार पर कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य थी, अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(xii) के तहत अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसका स्वयं का निर्णय था। यह निर्णय प्रेम के कारण या अपीलार्थी से विवाह करने के कारण हो सकता है। इस मामले में, अभियोक्त्री और अपीलार्थी घटना की तिथि से पहले प्रेम संबंध में थे और उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से विवाह अनुबंध किया था। इसके अतिरिक्त, केस डायरी में दिए गए बयानों (दस्तावेज D–1, D–2 और D–3) में विरोधाभासों और चूकों/लोप को देखते हुए, जो कि (अ.सा.–1) अभियोक्त्री, (अ.सा.–2) बलराम ( अभियोक्त्री के पिता) और (अ.सा.–3) दुर्योधन द्वारा दिए गए थे एवं इन बयानों की तुलना उनके न्यायालय में दिए गए बयानों से करने पर, यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के अपराध को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अतः अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(xii) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती।''

**28.** परिणाम स्वरूप, अपील **स्वीकार** की जाती है। अधिनियम की धारा 3(1)(Xii) के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**29.** चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है, अतः उसकी जमानत अगले छह माह तक प्रवृत्त रहेंगे, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए के प्रावधानों में उल्लेखित है।

**हस्ताक्षर**
**गौतम चौर्ड़िया**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur